

कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक-शिविरा-माध्य/मा-स/22497/2017-18/106

दिनांक-20.04.2020

समस्त संस्था प्रधान (प्रावि/उप्रावि/मावि/उमावि)


राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालय

विषय - सत्र 2019-20 के कक्षा 1 से 8 तथा कक्षा 9 एवं 11 के परीक्षा परिणाम के संबंध में।

प्रसंग - क्रमांक-शिविरा-माध्य/मा-स/22497/2017-18/ दिनांक-10.04.2020 एवं प्रारंभिक शिक्षा का आदेश शिविरा/प्रारं/शैक्षिक/एबी/कवि/19-20 दि 10.04.20

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक आदेश द्वारा सत्र 2019-20 में कक्षा 1 से 8 तथा कक्षा 9 एवं 11 में नियमित अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों को आगामी कक्षा में कक्षाक्रमोन्नत किया गया है। उक्त प्रासंगिक आदेश में आगामी कक्षा में शाला दर्पण के माध्यम से क्रमोन्नत किया जाकर उन्हें निर्धारित प्रारूप में प्रमाण-पत्र जारी किये जाने का उल्लेख है। इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि :-

- 1 राजकीय विद्यालयों में सत्र 2019-20 में नियमित अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 एवं कक्षा 9 एवं 11 के समस्त विद्यार्थियों को शालादर्पण के माध्यम से आगामी कक्षा में क्रमोन्नत किया जाकर शालादर्पण से तैयार निर्धारित प्रमाणपत्र डाउनलोड किया जाकर विद्यार्थी को दिया जाए। प्रत्येक विद्यार्थी का एक पृथक यूनिक कोड होगा। अतः प्रत्येक विद्यार्थी के लिये पृथक से ही प्रमाण-पत्र डाउनलोड करना है। छायां प्रति किसी भी स्थिति में मान्य नहीं होगी।
- 2 गैर-राजकीय विद्यालयों में सत्र 2019-20 में नियमित अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 एवं कक्षा 9 एवं 11 के समस्त विद्यार्थियों को पीएसपी पोर्टल के माध्यम से आगामी कक्षा में क्रमोन्नत किया जाकर पीएसपी पोर्टल से निर्धारित प्रमाणपत्र डाउनलोड किया जाकर विद्यार्थी को दिया जाएगा। प्रत्येक विद्यार्थी का एक पृथक यूनिक कोड होगा। अतः प्रत्येक विद्यार्थी के लिये पृथक से ही प्रमाण पत्र डाउनलोड करना है। छायां प्रति किसी भी स्थिति में मान्य नहीं होगी।
- 3 राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालय में सत्र 2019-20 में नियमित अध्ययनरत विद्यार्थी, जो क्रमशः कक्षा 10 एवं 12 में कक्षा-क्रमोन्नत किये गये हैं, के प्रमाण पत्र बिन्दु 1 एवं 2 के अनुरूप शालादर्पण एवं पीएसपी पोर्टल से जारी होंगे परन्तु उनकी प्रासंगिक पत्र में उल्लेखानुसार अंकतालिका संस्था प्रधान को स्वयं के स्तर पर तैयार करनी होगी। इस हेतु गणना की सुविधा शालादर्पण एवं पीएसपी पोर्टल पर उपलब्ध होगी।
- 4 उक्त प्रमाणपत्र एवं अंकतालिका गणना की सुविधा शाला-दर्पण एवं पीएसपी पोर्टल पर लॉकडाउन समाप्ति दिनांक 03.05.2020 के उपरांत उपलब्ध होगी।



(सौरभ स्वामी)

आइ.ए.एस

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- 1 विशिष्ट सहायक माननीय शिक्षा मंत्री, राजस्थान, सरकार जयपुर।
- 2 निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर।
- 5 सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
- 6 समस्त संभागीय सयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा को प्रभावी प्रबोधन हेतु।
- 7 प्रधानाचार्य, सादुल स्पोर्ट्स स्कूल, बीकानेर
- 8 समस्त मुख्य जिला अधिकारी/ब्लॉक शिक्षा अधिकारी / जिशिअ (मुख्यालय)-माध्यमिक/प्रारंभिक को क्षेत्राधिकार में प्रभावी प्रबोधन हेतु।
- 10 सहायक निदेशक, शालादर्पणकार्यालय हाजा को उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु।
- 11 सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।


निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर